

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक 15.10.2021

थाना भमोरा जनपद बरेली ।

थाना भमोरा व एसओजी, बरेली के द्वारा षडयंत्र रचकर गाड़ी में तमन्चे रखने वाले दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 12 नाजायज देशी तमन्चे, कारतूस व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद ।

दिनांक 10.10.2021 को पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम कैमुआ का सोनू शर्मा नामक व्यक्ति असलहों की तस्करी करता है और 09-10/10/2021 की रात मे ही अपनी इनोवा कार नं0 UP22Q9662 से भारी मात्रा में असलहे लेकर आया है जो उसके घर के पास खड़ी इनोवा गाडी में पड़ी हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस ने सोनू शर्मा की गाडी से 10 तमन्चे नाजायज बरामद किये थे । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली श्री रोहित सिंह सजवाण के दिशा-निर्देशन मे उपरोक्त घटना क्रम की सही विवेचना तथा हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुये सही अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय बरेली श्री राजकुमार अग्रवाल के नेतृत्व में थानाध्यक्ष भमोरा श्री विक्रम सिंह व प्रभारी एसओजी श्री अभिषेक कुमार सिंह की टीमों का गठन किया गया। उक्त घटना की तफ्तीश के क्रम मे यह तथ्य प्रकाश मे आये कि सोनू शर्मा का घर व जमीन सम्बन्धी विवाद अपने भाई मोहनलाल शर्मा उर्फ मीनू से चल रहा है जो इसी विवाद के चलते घर छोड़कर अपनी ससुराल मीरगंज मे रहकर दुकान चलाता है और पहले भी मीनू लगभग दो माह पूर्व थाना क्षेत्र मीरगंज से गायब हो गया था और थाना मीरगंज पर गुमशुदगी दर्ज कराकर अपने भाई सोनू को फसाने का प्रयास कर चुका है, तथा दिनांक 09-10/10/2021 की मध्य रात्रि को मोहन लाल उर्फ मीनू शर्मा अपने रिश्तेदार ललित कुमार शर्मा उर्फ गुरू शर्मा जो कि एक अच्छा अपराधी है के साथ अपनी मो0सा0 होन्डा शाइन से आकर सोनू की इनोवा गाडी मे कुछ रखते हुये देखे गये थे। आज दिनांक 15.10.2021 को अभियुक्तगण मोहन लाल शर्मा उर्फ मीनू व ललित कुमार शर्मा उर्फ गुरू उपरोक्त को पुलिस द्वारा 01 – 01 अदद तमन्चा व 02-02 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त दोनो अभियुक्तगणो से कड़ाई से पूछताछ पर पता चला कि सोनू शर्मा को फंसाकर जेल भिजवाकर इस समय बची शेष प्रोपर्टी का सौदा करके जो धन प्राप्त होगा वो पैसा मीनू शर्मा ललित उर्फ गुरू शर्मा को भी देता तथा बरामदशुदा असलहों के बारे मे ललित कुमार शर्मा उर्फ गुरू ने बताया कि यह असलहें मैने दिलबाग सिंह सरदार उर्फ बग्गा से खरीदे थे जिसकी ऐवज मे मीनू शर्मा से 17 हजार रूपये भी लिये थे दिलबाग सिंह सरदार उर्फ बग्गा करीब 04 माह पूर्व असला फेक्ट्री समेत थाना भुता पुलिस द्वारा पकड़ा गया था अभी जेल मे है । मीनू तथा ललित कुमार शर्मा उर्फ गुरू द्वारा सोनू शर्मा को फंसाये जाने हेतु असलहों को एक बोरे मे रखकर इनोवा कार मे रखे जाने के साक्ष्य पाये गये है तथा उन्हे गिरफ्तार कर सम्बन्धित धाराओ मे जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. मोहन लाल उर्फ मीनू पुत्र स्व0 सुधीर नारायण शर्मा नि0 ग्राम कैमुआ थाना भमोरा जिला बरेली हाल नि0 नगरिया कल्याणपुर थाना मीरगंज जिला बरेली ।
2. ललित कुमार शर्मा पुत्र पुतुलाल शर्मा नि0 ग्राम फरीदापुर थाना भुता जिला बरेली ।

बरामदगी का विवरण:- 12 अदद तमन्चा देशी नाजायज जिसमें 06 अदद तमन्चा 12 बोर व 06 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर व एक अदद मोटर साइकिल घटना मे प्रयुक्त ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

1. मोहनलाल उर्फ मीनू पुत्र स्व० सुधीर नारायण शर्मा नि० ग्राम कैमुआ थाना भमोरा जिला बरेली हाल नि० नगरिया कल्याणपुर थाना मीरगंज जिला बरेली ।

➤ मु०अ०सं० 355/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० 420/120बी/195 भादवि थाना भमोरा जिला बरेली ।

➤ मु०अ०सं० 358/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भमोरा जिला बरेली।

2. ललित कुमार शर्मा पुत्र पुतुलाल शर्मा नि० ग्राम फरीदापुर थाना भुता जिला बरेली ।

➤ मु०अ०सं० 355/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० 420/120बी/195 भादवि थाना भमोरा जिला बरेली ।

➤ मु०अ०सं० 359/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भमोरा जिला बरेली ।

➤ मु०अ०सं० 1276/05 धारा 307/504/506 भादवि थाना भमोरा जिला बरेली ।

➤ मु०अ०सं० 141/06 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भमोरा जिला बरेली ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष विक्रम सिंह थाना भमोरा जनपद बरेली ।

2. प्रभारी सर्विलान्स आर.जी. शर्मा मय टीम जनपद बरेली ।

3. उ०नि० जावेद सर्विलान्स, जनपद बरेली ।

4. प्रभारी एसओजी अभिषेक कुमार सिंह मय टीम जनपद बरेली ।

5. उ०नि० संजीव कुमार थाना भमोरा जनपद बरेली ।

6. हे०का० 925 सतेन्द्र सिंह थाना भमोरा जनपद बरेली ।

7. का० 2992 प्रदीप पुण्डीर थाना भमोरा जनपद बरेली ।

8. का० 3433 अंकित कुमार थाना भमोरा जनपद बरेली ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बरेली ।